

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :- एफ.3 (ख)(एस-359/92) / अलेसे-II/

दिनांक:- 16/02/2017

कार्यालय आदेश

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 46 दिनांक 01.02.2017 के द्वारा पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर से प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2017 दिनांक 20.01.2017 संलग्न कर अवगत करवाया है कि कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर में कार्यरत श्री श्याम सुन्दर सेतिया, स.ले.अ.ग्रेड-II को 10000/- रुपये की रिश्त मांगकर प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 18.01.2017 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर इनके विरुद्ध अपराध संख्या 12/2017 दर्ज कर पंजीबद्ध किया गया है।

अतः श्री सेतिया, स.ले.अ.ग्रेड-II को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 18.01.2017 से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में श्री सेतिया का मुख्यालय कोषालय, बीकानेर किया जाता है। श्री सेतिया को निलंबन काल में नियमानुसार 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।

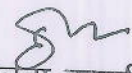

(पंकज मोटनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ख)(एस-359/92) / अलेसे-II/ 22/3

दिनांक:- 16/02/2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 76-79 दिनांक 20.01.2017 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री सेतिया के विरुद्ध प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावे।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।
3. अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. कोषाधिकारी, बीकानेर।
5. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. श्री श्याम सुन्दर सेतिया, स.ले.अ. ग्रेड-II (निलंबित) कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर।
8. कम्प्यूटर विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
9. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(हेमलता कुमारी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)